# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

**पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०**

प्रकरण संख्या– 06 / 2024

**बउनवान**

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

**बनाम**

श्री कमल कुमार शर्मा (पॉश कोड–20948) पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा निवासी साबू ऑयल मिल के सामने, तेल फेक्ट्री, उचित मूल्य दुकानदार, बारां शहर, जिला–बारां (राज.)**(अप्रार्थी)**

**प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री रामसिंह ऐरवाल एड. **(अप्रार्थी)**

**आदेश दिनांक– 03.03.2025**

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 428–34 दिनांक 22.04.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 41083.7 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1386–1395 दिनांक 20.04.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 407 / 2008 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000 / –रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 41083.7 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27 / – रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1109260 / – की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.08.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

Signature Not Verified

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible]मांग [illegible]सूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible]रा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र [illegible]

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3— अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ परन्तु जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस की।

4— हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5— दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू 41083.7 किग्रा का गबन करने एवं राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा आपूर्ति किये गये गेंहू की राशि 1109260/— रू. बकाया होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थिया को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 407/2008 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/—रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से 41083.7 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1109260/—रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण का विनियमन का आदेश 1976 की धारा 8 के प्रावधानो का पूर्णतः पालन नहीं किया है। निगम द्वारा हर माह 2 से 3 किवं गेहूँ कम दिया जाता है तथा कुछ गेहूँ दुकान में सीलन के कारण खराब हो गया। अपीलान्ट उक्त गेहूँ 10 किं० की पूर्ति प्रतिमाह करने को तैयार है तथा अपीलान्ट को जो भी कमीशन मिलता है उससे भी अपीलान्ट द्वारा पूर्ति कर दी जावेगी। अप्रार्थी ने गेंहू का कोई गबन नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार बारां शहर को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश प्रार्थी को प्रदान करें।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 407/2008 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 1109260/—रू. वसूली योग्य निकाली गई है।

8— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री कमल कुमार शर्मा (पॉश कोड—20948) पुत्र श्री शांतिस्वरूप शर्मा निवासी साबू ऑयल मिल के सामने, तेल फेक्ट्री, उचित मूल्य दुकानदार, बारां शहर, जिला—बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 1109260/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 18:08:35 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)